(15)

प्रकरण क्रमांक : /2014 निगरानी

1 खेमराज पिता प्यारचंद धाकड, 52 वर्ष
2 नेमिचंद पिता प्यारचंद धाकड, 42 वर्ष
निवासी हरिपुरा तह सिंगोली जिला नीमच
--- आवेदक

विरूद्ध

1 शंभुलाल पिता गोदीपुत्र हुक्मा
निवासी धनगॉव तह जावद जिला नीमच
2 प्रभुलाल पिता प्यारचंद, 45 वर्ष
निवासी हरिपुरा तह सिंगोली जिला नीमच
--- अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जावद जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2013–14 मे पारीत आदेश दिनांक 8/08/2014 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवं वैध कारण के आवेदक की अपील को समयावधि में मानने में महान वैधानिक त्रुटि की है।

3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी उचित कारण के अनावेदक की अपील को लगभग 8 माह पश्चात अवधि में मानने में वैधानिक त्रुटि की है जबकि अधिनंस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई वैधानिक कारण नही था कि इतनी लंबि अवधि को क्षमा किया जा सके। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4 यह कि पटवारी के प्रकारण की जानकारी अनावेदक को बटवारे दिनांक से ही थी। अनावेदक कमांक 1 गोदी चला गया था तथा उसे यह भलीभाती जानकारी थी कि वादग्रस्त संपत्ति प्यारचंदजी की है तथा उसके मरने के पश्चात उक्त भूमि का आवेदक एवं अनावेदकगण कमांक 2 का नाम संयुक्त खाते में दर्ज है तथा उसका इस संपत्ति में कोई हित नही है किंतु दुर्भावना से अवधि व्यतीत होने के बाद अपील प्रस्तुत की है। ऐसी अपील को समयावधि में मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की है।

5 यह कि अधिनस्ध न्यायालय के समक्ष अनावेदक ने जो धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसमें जानकारी दिनांक 12.2.14 बतलाई है, तथा जानकारी का स्त्रोत खसरे की नकल प्राप्त करने का उल्लेख किया है किंतु आवेदन के साथ ऐसी कोई खसरे की नकल प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह माना जा सके कि जानकारी खसरे की नकल से

XXXIX(a)BR(H)-11

(77)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – नीमच

प्रकरण कमांक निग. –एक / 12

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/9/14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है । आवेदन किन आधारों पर स्वीकार किया जा रहा है इसका कोई उल्लेख उन्होंने अपने आदेश में नहीं किया है । जब विलंब क्षमा करने के आधारों का स्पष्ट उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी को करना चाहिए था । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है वे पुनः उभयपक्षों को अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर सुनें और यदि वे यह पाते हैं कि विलंब क्षमा किये जाने योग्य है तब उसके लिए कारणों सहित अपने निष्कर्ष दें तथा उसके उपरांत गुणदोषों पर पक्षकारों को सुन कर विधिसम्मत आदेश पारित करें । निगरानी उक्त निर्देश के साथ समाप्त की जाती है । प्रशा० सदस्य	